लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4342

19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कर्नाटक के मैनचेस्टर में कपास उत्पादन केंद्र

4342. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ऐतिहासिक रूप से "कर्नाटक के मैनचेस्टर" के रूप में विख्यात दावणगेरे जिले की कपास और वस्त्र उद्योगों के एक उभरते केंद्र के रूप में क्षमता को स्वीकार करती है, और यदि हाँ, तो इस क्षेत्र में कपास मूल्य श्रृंखला विकसित करने की क्या रूपरेखा है;

(ख) क्या प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम-मित्र) योजना के अंतर्गत दावणगेरे में वस्त्र पार्क या क्लस्टर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और अपशिष्ट उपचार, भंडारण, कौशल केंद्र और परिवहन अवसंरचना जैसी क्या सुविधाएँ प्रदान करने की योजना है; और

(ग) क्या वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (समर्थ) के अंतर्गत या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के साथ साझेदारी में दावणगेरे में, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए, वस्त्र कौशल केंद्र स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): कर्नाटक भारत के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है, जहाँ लगभग 7 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती होती है और वार्षिक उत्पादन लगभग 19 से 22 लाख गांठ होता है। राज्य में कपास किसानों के हितों की रक्षा के लिए, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने अपने हुबली शाखा कार्यालय के अंतर्गत 11 जिलों में 37 खरीद केंद्रों का संचालन करते हुए, मजबूत खरीद बुनियादी ढाँचा स्थापित किया है। चालू कपास सीजन (2024-25) में, सीसीआई ने कर्नाटक में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अभियान के तहत 25.61 लाख क्विंटल बीज कपास - जो 5.22 लाख गांठ लिंट कपास के बराबर है - की खरीद की है, जिसका मूल्य 1,892 करोड़ रुपए है।

कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, माननीय वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट वर्ष 2025-26 में पाँच वर्षीय 'कपास उत्पादकता मिशन' की घोषणा की गई थी। यह पहल संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने और नवाचार को बढ़ावा देने के विज़न 2030 लक्ष्यों के अनुरूप है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) को कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है, जिसमें वस्त्र मंत्रालय एक प्रमुख भागीदार है।

मिशन का उद्देश्य सभी कपास उत्पादक राज्यों में उन्नत अनुसंधान और व्यापक पहुँच सहित लक्षित पहलों के माध्यम से कपास उत्पादन को बढ़ाना है। मिशन उन्नत प्रजनन और जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ईएलएस) कपास सहित जलवायु-लचीले, कीट-प्रतिरोधी और उच्च उपज वाली कपास किस्मों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव करता है।

(ख): सरकार ने सात रणनीतिक स्थानों: कलबुर्गी (कर्नाटक) में एक पार्क सहित विरूद्धनगर (तमिलनाडु), वारंगल (तेलंगाना), नवसारी (गुजरात), धार (मध्य प्रदेश), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), अमरावती (महाराष्ट्र) में वित्त वर्ष 2027-28 तक सात वर्षों की अवधि में 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय से पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं अपैरल (पीएम मित्र) पार्कों की स्थापना को अंतिम रूप दिया है।

पीएम मित्र पार्क योजना के अंतर्गत, वस्त्र मूल्य श्रृंखला की इष्टतम योजना और एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत भूमि उपयोग मानदंड निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक पार्क के लिए भूमि विकास योजना की संरचना निम्नानुसार है:

- 50% भूमि विनिर्माण क्षेत्र के लिए समर्पित होगी, जो स्पिनिंग और वीविंग से लेकर प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं सहित रेडीमेड गारमेंट्स (आरएमजी), प्रमुख उद्योगों और सहायक इकाइयों तक, संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।
- 20% भूमि सामान्य उपयोगिताओं और अवसंरचना, जैसे सड़कें, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी), सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी), जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूटीपी), सबस्टेशन और बॉयलर इकाइयों के लिए आवंटित की जाएगी।
- 10% भूमि रियायती आवास और संबंधित सामाजिक अवसंरचना जैसे स्कूल, अस्पताल और अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए आरक्षित होगी।
- 10% भूमि व्यावसायिक गतिविधियों, जैसे होटल, प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र, कार्यालय स्थान और संबंधित उपयोगों के लिए निर्धारित की जाएगी।
- 5% भूमि का उपयोग विशिष्ट और मूल्यवर्धित सेवाओं, जैसे परीक्षण प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षण केंद्रों, अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं, स्टार्ट-अप और उत्कृष्टता केंद्रों के लिए किया जाएगा।
- 5% भूमि को लॉजिस्टिक्स ज़ोन के रूप में नामित किया जाएगा, जिसमें मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी, बॉन्डेड क्षेत्र और निर्बाध परिवहन एवं भंडारण की सुविधाएँ शामिल होंगी।

(ग): वस्त्र मंत्रालय मांग-आधारित, रोजगार-उन्मुख कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना) को क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोज़गार सृजन में वस्त्र उद्योग के प्रयासों को पूरक बनाना है, जिसमें संगठित क्षेत्र में स्पिनिंग और वीविंग को छोड़कर, संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला शामिल है। समर्थ को पूरे भारत में क्रियान्वित किया जा रहा है। अपनी स्थापना के बाद से, इस योजना पर कुल 809.24 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

दिनांक 13 अगस्त 2025 तक, कर्नाटक राज्य में समर्थ योजना के तहत कुल 1,04,670 लाभार्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित (उत्तीर्ण) किया गया है, जिनमें दावणगेरे जिले के 3,086 लाभार्थी शामिल हैं।

******